न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 15/2018 (उदयपुर आर्डर)

1. श्री हकमा पिता रूपा जी भी निवासी मानखण्ड तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री प्रतापसिंह पिता मोड़सिंह जी राजपूत निवासी मानखण्ड तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री कल्याणसिंह पिता मोड़सिंह जी राजपूत निवासी मानखण्ड तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री कानसिंह पिता प्रतापसिंह जी राजपूत निवासी मानखण्ड तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री रामलाल पिता वक्ता जी मीणा निवासी नाल का गुड़ा तहसील लसाडिया जिला उदयपुर
5. पटवारी, पटवार हल्का मोरठ तहसील मावली जिला उदयपुर
6. उप पंजीयन अधिकारी सनवाड़ तहसील मावली जिला उदयपुर
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) मावली दिनांक 30–01–2018
प्रकरण संख्या 170/2016 प्रार्थना पत्र

———

उपस्थित :–1– श्री खेमराज डांगी अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री अजयसिंह हाड़ा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.सं.–5, 6 व 7

———/———

निर्णय **दिनांक 02–01–2019**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मानखण्ड की आराजी नंबर 636 रकबा .05 हैक्टर भूमि राजस्व रेकर्ड में रेस्पोन्डेन्ट विपक्षी संख्या–4 के नाम दर्ज है। यह आराजीयात पूर्व में भज्जा पिता किशना भील के नाम दर्ज थी तथा भज्जा के बाद यह भूमि नारू के नाम दर्ज हुई तथा 6–7 वर्ष पूर्व नारू की मृत्यु बाद यह भूमि नारू की पत्नी खेमी के नाम दर्ज हुई, जो कि माधु भील के यहां सनवाड़ नाते जाकर वहीं रहती है। मिली–भगत से खेमी ने विरासत का नामान्तरकरण खुलवाकर दिनांक 7–8–2016 को विवादित भूमि विपक्षी संख्या–4 को नुमाईशी विक्रय कर दिया। वह भूमि पर काबिज नहीं है, 30–40 वर्षो से भूमि पर कब्जा वादी अपीलान्ट का है तथा वह प्रतिकूल कब्जे से खातेदार हो चुका है। विक्रय पत्र अवैध व नुमाईशी है। कब्जा वादी अपीलान्ट का है। विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध विक्रय हस्तान्तरण नहीं करने तथा प्रार्थी अपीलान्ट के कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करने की अस्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

उपरेक्त प्रार्थना पत्र के खण्डन का जवाब विपक्षी संख्या–1 से 3 व विपक्षी संख्या–4 की और से देकर अपीलान्ट प्रार्थी का कोई हक अधिकार व सारोकार विवादित भूमि में नहीं होने, कब्जा विपक्षी संख्या–4 का होने, विक्रय नियमानुसार होने का कथन किया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 30–1–2018 से अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26–2–2018 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 की और से अधिवक्ता श्री अजयसिंह हाड़ा ने वकालत पत्र पेश किया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5, 6, व 7 की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3, 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावल तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि–विरूद्ध है। खेमी के नाते जाने के बाद उसके नाम नामान्तरकरण खुलना गलत है तथा विक्रय पत्र भी अवैध है। अनुसूचिज जनजाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता तथा पानी का अधिकार नहीं बनता, जबकि वह नाते चली गई है, अपीलान्ट काबिज है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षें की बहस सुनी गई तथा पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। प्रकरण में जहां तक प्रथम दृष्टया प्रकरण का प्रश्न है, अपीलान्ट का कब्जा होने की प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध नहीं, प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी दिये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। विवादित भूमि में खेमी के अतिरिक्त प्रार्थी अपीलान्ट का किस प्रकार विरासती स्वत्वाधिकार बनता है। इस बाबत् कोई प्लीडिंग व साक्ष्य नहीं है। तद्नुसार प्रथम दृष्टया स्वत्व व कब्जा प्रार्थीगण का नहीं होने से उनका प्रथम दृष्टया स्वत्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं माने जाने का निर्णय हम उचित पाते है। इसी प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष मे ंनहीं होने से सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में नहीं रहते एवं तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के निर्णय में हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि नहीं पाते।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30–1–2018 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02–01–2019 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर